भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1424

26 जुलाई, 2022 को उत्तरार्थ

भारी वर्षा और बाढ़ से फसलों को नुकसान

1424. श्री मनोज तिवारी:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री राम कृपाल यादव:
श्री सुब्रत पाठक:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कई राज्य हाल ही के कुछ महीनों में भारी बारिश और इसके कारण आई बाढ़ से प्रभावित हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप खड़ी फसलें, फल और सब्जियां काफी हद तक नष्ट हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो फसलों/धान/सब्जियों के कुल नुकसान का ब्यौरा क्या है और कौन-कौन से जिले गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसी सहायता की मांग की है और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केंद्र सरकार के किसी दल ने नुकसान का आकलन करने के लिए दौरा किया था और यदि हां, तो उनके आकलन का ब्यौरा क्या है;

(ड़) क्या सरकार की प्रभावित जिलों में किसानों का कर्ज माफ करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा फसल पद्धति को बदलने के लिए क्या उपाय किए गए हैं जो देश भर में जलवायु में आ रहे परिवर्तनों को कम करने में मदद करेंगे?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): फसलों को हुए नुकसान का आकलन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। दिनांक 12.07.2022 (अनंतिम) तक, निम्नलिखित राज्य सरकारों ने वर्ष 2022 के दौरान बाढ़ के कारण फसल क्षेत्र को हुए नुकसान की सूचना दी:

क्र. सं.	राज्य	बाढ़ से प्रभावित फसल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1.	अरुणाचल प्रदेश	67
2.	असम	240097
3.	कर्नाटक	1479
4.	मेघालय	1102
5.	नागालैंड	294
6.	सिक्किम	169
	कुल	243208

राज्य सरकार मुख्य रूप से बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर आवश्यक राहत उपाय प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार के पास राहत उपाय करने के लिए, राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के रूप में निधियां उपलब्ध रहती हैं। एसडीआरएफ के अलावा, गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने पर विचार किया जाता है और राज्य सरकार से प्राप्त ज्ञापन के आधार पर स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार अनुमोदित किया जाता है। एक अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल (आईएमसीटी) का गठन किया जाता है, जिसे वर्तमान मदों और मानदंडों के अनुसार नुकसान के मौके पर आकलन और राहत कार्यों के लिए धन की आवश्यकता का आकलन करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है। आईएमसीटी की रिपोर्ट पर राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उपसमिति (एससी-एनईसी) के द्वारा विचार किया जाता है। इसके बाद, उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) वित्तीय सहायता के लिए धनराशि के अंतिम परिमाण को मंजूरी देती है।

अब तक, वर्ष 2022-23 में गृह मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर नुकसान के आकलन के लिए असम, मेघालय, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों (आईएमसीटी) का गठन/प्रतिनियुक्ति की गई है।

(ङ): जी, नहीं। हालांकि, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग प्राकृतिक आपदाओं और रोकथाम योग्य जोखिमों के कारण फसल क्षति की स्थिति में व्यापक जोखिम कवर प्रदान करने तथा अधिसूचित बीमा कवरेज के सापेक्ष बीमित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान के लिए 'पुनर्संरचित मौसम आधारित फसल बीमा योजना' के साथ-साथ खरीफ 2016 से 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' का कार्यान्वयन कर रहा है। तथापि, ये बीमा योजनाएं स्वैच्छिक प्रकृति की हैं।

(च): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने पारंपरिक रोपाई पद्धति के विकल्प के रूप में सीधी चावल बीजाई (डीएसआर) को विकसित किया है और इसका किसानों के खेतों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया गया है। इसके अतिरिक्त, बागवानी, तिलहन, मक्का आदि को फसल विविधीकरण उपायों के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। आईसीएआर ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए विभिन्न कृषि-जलवायु परिस्थितियों में फसल विविधीकरण के सिद्धांतों के साथ वैकल्पिक और कुशल फसल प्रणालियों को भी चिह्नित किया है।

इसके अतिरिक्त, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय वर्ष 2013-14 से मूल हरित क्रांति राज्यों अर्थात हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश (पश्चिमी भाग) में जल सघन धान की फसल के क्षेत्र को वैकल्पिक फसलों जैसे दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज, कपास आदि में रूपांतरित करने के लिए फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) को कार्यान्वित कर रहा है।

******